

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. वेदप्रकाश पुत्र श्री हेमराज जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. अमन पुत्र राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री हेमराज जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।



-वादीगण-

बनाम्

1. हेमराज पुत्र श्री गोपाल राम जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. सीमा देवी पुत्री श्री हेमराज पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी फकीरवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. मूर्ती देवी पुत्री श्री हेमराज पत्नी हनुमान जाति जाट निवासी जीवनदेसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुनीता पुत्री श्री हेमराज पत्नी श्री दलीप कुमार जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुमन कुमारी पुत्री श्री हेमराज पत्नी श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी 14 एस0पी0एम गोधुवाली ढाणी, केवलावाली ढाणी तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. शाखा प्रबन्धक एस0बी0आई बैंक शाखा पदमपुर।
7. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार राजस्व पदमपुर।

-प्रतिवादीगण-

अन्तर्गत धारा 53-88-91 आरटीए


निर्णय

दिनांक 6/8/19

2019
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण के पिता/दादा हेमराज पुत्र गोपाल राम के नाम से चक 31 आरबी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्बन्त 2071 - 2074 के खाता सं० 41/40 के मुरबा न० 1 के किला न० 1 ता 25 कुल 6.3250 है० नहरी मे से 1/4 हिस्सा व चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-2076 के खाता सं० 123/115 मुरबा

16 किला न० 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है० कुल 6.3250 है०
 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-76 के खाता सं० 124/114 मुरबा न० 52 किला न०
 ता 5 कुल 1.2400 है० व चक वैरावास काहना की जमाबन्दी सम्बन्त 2070-2073 के खाता
 न० 6/6 का मुरबा न० 35 किला न० 2/2, 3 ता 25 कुल 5.8190 है० वारानी भूमि मे 1.239
 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादगत आराजी वादीगण सं० 1 व 2 के पिता, वादी सं० 3 के
 दादा प्रतिवादी सं० 1 हेमराज को अपने पिता गोपाल राम से विरास्तान प्राप्त हुई है। यह कि
 वादीगण के पिता/दादा हेमराज पुत्र गोपालराम की वंशावली निम्न व प्रकार से है:-



वादीगण के पिता/दादा हेमराज पुत्र गोपाल राम को उक्त वादगत भूमि विरास्तन मे प्राप्त हुई है उक्त भूमि व हमारे सयुक्त परिवार की H.U.F प्रोपर्टी है जिसमे हम वादीगण का सहदायिक हिस्सा बनता है जो हम प्राप्त करने के अधिकारी है प्रतिवादीगण सं० 2 ता 5 की शादी हो जो अपने ससुराल मे निवास कर रही है। वादीगण को वादगत आराजी भूमि मे से मुताबिक पारिवारीक समझौता (पांचाट निर्णय) अनुसार आई भूमि जो प्रतिवादी सं० 1 हेम राज पुत्र गोपालराम के नाम दर्ज भूमि मे से हिस्सा घोषित करवाना चाहते है।:-

क- राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के हिस्सा की भूमि:- चक 31 आरबी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्बन्त 2071 से 2074 खाता सं० 41/40 के मुरबा न० 1 के किला न० 1 ता 25 कुल 6.3250 है० नहरी मे से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है० भूमि हिस्सा व कब्जा मे आई है।

ख -वेदप्रकाश पुत्र हेमराज के हिस्सा मे आई भूमि :- चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-2076 का खाता सं० 123/115 मुरबा न० 16 किला न० 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है० कुल 6.3250 है० में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है० भूमि व चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-76 का खाता सं० 124/114 मुरबा न० 52 किला न० 1 मे 0.216 है० उत्तरी दिशा में, किला न० 2/0.240 है० उत्तरी दिशा में किला न० 3/0.164 है० उत्तरी पश्चिमीदिशा में कुल 0.6200 है० नहरी भूमि इस प्रकार दोनो खातो की कुल 2.2012 है० भूमि कब्जा में आई है।

ग- अमन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार के हिस्सा की भूमि :- चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बत 2073-74 के खाता सं 124/114 के मु 0 न 52 किला न 1/ 0.0120 है 0 दक्षिणी दिशा किला न 2/0.0130 है 0 दक्षिणी दिशा, किला न 3/0.0890 है 0 जो 0.0130 है 0 दक्षिणी दिशा में व शेष पूर्वी दिशा में, किला न 4/0.2530 किला न 5/0.2530 है 0 कुल 0.6200 है 0 भूमि हिस्सा व कब्जा में आई है।

वादगत आराजी के सम्बन्ध में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पारिवारिक समझौता हुआ जिसके मुताबिक भूमि की अच्छी व हल्की किस्म का आंकलन करते हुए वादीगण के हिस्सा व कब्जा में आई भूमि को हिस्सानुसार नाम करवाने हेतु दो रोज पूर्व प्रतिवादी सं 0 1 को कहा तो वह भूमि नाम करवाने से इनकार हो गया तथा कहने लगे कि उक्त तमाम भूमि को बैचान करके खुद बुद कर देगा जो यही वाद कारण है। वादीगण पारिवारिक समझौता (पंचाट निर्णय) के अनुसार प्रतिवादी सं 0 1 के नाम दर्ज भूमि में से अपने हिस्सा व कब्जा में आई भूमि का हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है अगर प्रतिवादी सं 0 1 वादगत आराजी भूमि को बैचान

करने में सफल हो गया तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरवाई मुद्रा वादी के पक्ष में आंकी जा सकती। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन, राईट व टाईटल वादी के पक्ष में बनना पाया जाता है। वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र निम्न प्रकार की फरमाया जावे :-

क- राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज वादी सं 0 1 को :- चक 31 आरबी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्बत 2071 से 2074 खाता सं 41/40 के मुरबा न 0 1 के किला न 0 1 ता 25 कुल 6.3250 है 0 नहरी में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है 0 भूमि के हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जावे।

ख - वेदप्रकाश पुत्र हेमराज वादी सं 0 2 को :- चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बत 2073-2076 का खाता सं 123/115 मुरबा न 0 16 किला न 0 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है 0 कुल 6.3250 है 0 में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है 0 भूमि व चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बत 2073-76 का खाता सं 124/114 मुरबा न 0 52 किला न 0 1 में 0.216, 2/0.240, 3/0.164 कुल 0.6200 है 0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनो खातों की कुल 2.2012 है 0 भूमि हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जावे।

ग- अमन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार वादी सं 0 3 को :- चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बत 2073-74 के खाता सं 124/114 के मु 0 न 52 किला न 0 1/0.0120 किला न 0 2/ किला न 0 3/0.0890, किला न 0 4/0.2530 किला न 0 5/0.2530 है 0 कुल 0.6200

... रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को ...
... श्री गुरजन्त सिंह अधिवक्ता द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिस
... शामिल मिसल किया गया। राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि यह कि
... के पिता/दादा हेमराज पुत्र गोपाल राम के नाम से चक 31 आर बी द्वितीय तहसील
... की जमाबन्दी सम्बन्त 2071 से 2074 खाता सं० 41/40 के मुरबा न० 1 के किला न०
... 25 कुल 6.3250 है० नहरी में से 1/4 हिस्सा व चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त
... का खाता सं० 123/115 मुरबा न० 16 किला न० 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है० कुल
... है० में से 1/4 हिस्सा व चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-76 का खाता
... मुरबा न० 52 किला न० 1 ता 5 कुल 1.2400 है० व चक बैरावास काहना की
... का खाता सं० 6/6 का मुरबा न० 35 किला न० 2/2, 3 ता
... की जमाबन्दी सम्बन्त 2070-2073 का खाता सं० 6/6 का मुरबा न० 35 किला न० 2/2, 3 ता
... कुल 5.8190 है० बरानी भूमि में 1.239 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादगत आराजी
... वादीगण सं० 1 व 2 के पिता, वादी सं० 3 के दादा प्रतिवादी सं० 1 हेमराज को अपने पिता
... गोपाल राम से विरास्तान प्राप्त हुई है। वादीगण के पिता/दादा हेमराज पुत्र गोपाल राम को
... उक्त वादगत भूमि विरास्तान में प्राप्त हुई है उक्त भूमि व हमारे समुक्त परिवार की H.U.F
... प्रौढी है जिसमें हम वादीगण का सहदायिक हिस्सा बनता है जो हम प्राप्त करने के अधिकारी
... है। वादीगण को वादगत आराजी भूमि में से मुताबिक पारिवारिक समझौता (पांचाट निर्णय)
... अनुसार आई भूमि जो प्रतिवादी सं० 1 हेम राज पुत्र गोपालराम के नाम दर्ज भूमि में से
... राजीनामानुसार हिरसा घोषित किया जावे है।-

(क)- राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज के हिस्सा की भूमि- चक 31 आरबी द्वितीय तहसील
... की जमाबन्दी सम्बन्त 2071 से 2074 खाता सं० 41/40 के मुरबा न० 1 के किला न०
... 1 ता 25 कुल 6.3250 है० नहरी में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है० भूमि के हिस्सा का
... खातेदार मालिक घोषित किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का
... आदेश दिया जावे।

(ख)- वेदप्रकाश पुत्र हेमराज के हिस्सा में आई भूमि - चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त
... का खाता सं० 123/115 मुरबा न० 16 किला न० 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है०
... कुल 6.3250 है० में से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है० भूमि व चक 34 आर बी की जमाबन्दी
... सम्बन्त 2073-76 का खाता सं० 124/114 मुरबा न० 52 किला न० 1 में 0.216, 2/0.240,
... 3/0.164 कुल 0.6200 है० नहरी भूमि इस प्रकार दोनों खातों की कुल 2.2012 है० भूमि
... हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित करते हुए चक 34 आर बी खाता सं० 124/114 की भूमि
... किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का

अमन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार के हिस्सा की भूमि :- चक 34 आरबी का जमाबन्दी सम्बन्त 2073-74 के खाता सं 124/114 के मु 0 न 52 किला न 1/0.0120 किला न 2/0.0130, किला न 3/0.0890, किला न 4/0.2530 किला न 5/0.2530 है कुल 0.6200 है 0 भूमि हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित करते हुए खाता विभाजन किया जावे व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली व राजीनमा का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रकरण राजीनामा के आधार पर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाकर विभाजन किया जाता है :-

वादी सं 0 1 राजेन्द्र कुमार पुत्र हेमराज का हिस्सा :- चक 31 आरबी द्वितीय तहसील पदमपुर की जमाबन्दी सम्बन्त 2071 से 2074 खाता सं 41/40 के मुरबा न 0 1 के किला न 0 1 ता 25 कुल 6.3250 है 0 नहरी मे से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है 0 भूमि

वादी सं 0 2 वेदप्रकाश पुत्र हेमराज का हिस्सा :- चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-2076 का खाता सं 123/115 मुरबा न 0 16 किला न 0 1 ता 25 प्रत्येक 0.253 है 0 कुल 6.3250 है 0 मे से 1/4 हिस्सा यानि 1.5812 है 0 भूमि व चक 34 आर बी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-76 का खाता सं 124/114 मुरबा न 0 52 किला न 0 1 मे 0.216, 2/0.240, 3/0.164 कुल 0.6200 है 0 नहरी भूमि इस प्रकार दोनो खातो की कुल 2.2012 है 0 भूमि हिस्सा व चक 34 आरबी खाता सं 124/114 की भूमि का खाता विभाजन किया जाता है।

वादी सं 0 3 अमन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार का हिस्सा :- चक 34 आरबी की जमाबन्दी सम्बन्त 2073-74 के खाता सं 124/114 के मु 0 न 52 किला न 0 1/0.0120 किला न 0 2/0.0130, किला न 0 3/0.0890, किला न 0 4/0.2530 किला न 0 5/0.2530 है 0 कुल 0.6200 है 0 भूमि हिस्सा का खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। उक्त भूमि रिकार्ड में रहन दर्ज है। खातेदारान के संयुक्त खाते में अंकित हिस्से में बदलाव की स्थिति में बैंक से एनओसी जारी होने के बाद निर्णय की पालना की जावे। खातेदारान के हक हिस्से में बदलाव न होने की दशा में संबंधित खातेदार के खाते में बैंक का रहन यथावत दर्ज किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 6/8/19 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



(सुभाष कुमार)

उपसहस्र अधिकारी